ई–मेल/स्पीडपोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–1321/सी0ई0ओ0–4–24/4–2021 लखनऊः दिनांकः 24 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय– **अर्हता दिनांक–01.01.2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण–आलेख्य प्रकाशन हेतु निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–1273/सी0ई0ओ0–4–24/4–2021 दिनांक 18.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अर्हता तिथि 01.01.2022 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में आलेख्य प्रकाशन हेतु एकीकृत मतदाता सूची के मुद्रण किए जाने के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2– प्रश्नगत एकीकृत आलेख्य मतदाता सूची के मुद्रण के विषय में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः–

1. एकीकृत आलेख्य मतदाता सूची के मुद्रण हेतु आज दिनांक 24.10.2021 की रात्रि को समस्त 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए Server open कर दिया जाएगा। जिसकी सूचना निर्वाचन कार्य हेतु बनाए गए समस्त whatsApp group पर पृथक से दे दी जाएगी।
2. दिनांक 01.11.2021 को प्रकाशित होने वाली आलेख्य मतदाता सूची का मुद्रण ER Printing Tool के Integrated Draft option द्वारा किया जाएगा। जिसमें Publication की Date 01.11.2021 प्रदर्शित होगी।
3. सर्वप्रथम आलेख्य मतदाता सूची की PDF downloading की कार्यवाही की जानी है। PDF download करने हेतु ER Printing Tool को Update कराया जाना अपेक्षित है, जिसका latest version 2.0.5.3 है।
4. मतदाता सूची के द्वितीय पृष्ठ पर छपने वाले 6 प्रकार के मैप ईआरओ नेट पर अपडेट किए जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1319/सी0ई0ओ0–4–24/4–2021 दिनांक 23.10.2021 द्वारा अपेक्षा की गयी है। उक्त 6 प्रकार के मैपों की uploading ERO Net में ERO login द्वारा Polling station tile में click करने के उपरान्त Improved maps का option आएगा। उक्त option को click करने पर विधानसभा के नाम प्रदर्शित होगा उस पर click करने के बाद समस्त Polling Staion की list show होने लगेगी। Polling station number पर click करने पर Maps को update करने का option मिल जाएगा।
5. एकीकृत आलेख्य नामावली के सभी पोलिंग स्टेशनों की सूची का मुद्रण के पूर्व प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के **कम से कम 20 पोलिंग स्टेशनों की मतदाता सूचियों को रेण्डम आधार पर कम्प्यूटर पर ही उसकी जांच**

अवश्य करा ली जाय। उक्त जांच में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित हैः—

(a) मतदेय स्थलों के सम्भाजन के उपरान्त को—रीलेशन टेबल के माध्यम से विभाजित किए गए सभी मतदाताओं को उनका नया भाग आवंटित हो गया है तथा कोई मतदाता नई मतदाता सूची में आने से छूटा नही है।

(b) सभी नयी भाग संख्याएं प्रदर्शित हो रही हैं अथवा नही।

(c) मतदाता सूची हिन्दी भाषा में मुद्रित हो रही है अथवा नहीं।

(d) इसी प्रकार उन 46 विधानसभाओं में, जिनमें उर्दू मतदाता सूची भी मुद्रित होती है, के बारे में यह देख लिया जाए कि हिन्दी के साथ—साथ उर्दू मतदाता सूची मुद्रित हो रही है अथवा नहीं।

(e) मुद्रित की जाने वाली मतदाता सूची में आलेख्य प्रकाशन दिनांक 01.11.2021 की तिथि प्रदर्शित हो रही है अथवा नहीं।

(f) मतदाता सूची के द्वितीय पृष्ठ पर छपने वाले 6 प्रकार के मैप सम्बन्धित बूथ के ही प्रदर्शित हो रहे हैं अन्यत्र बूथों के तो नहीं। यदि ऐसा प्रतीत होता है तो उपरोक्त प्रस्तर—4 में दिए गए निर्देशानुसार सर्वप्रथम कार्यवाही अपेक्षित है।

(g) किसी व्यक्ति के सामने किसी जानवर, फूल—पत्ती, खाली स्थान, कोई अन्य चिन्ह अथवा उसकी फोटो के अतिरिक्त कोई भी अन्य चित्र न लगा हो।

(h) मतदाता सूची में त्रुटिवश अथवा किसी के द्वारा जान—बूझकर, किसी विख्यात अथवा कुख्यात व्यक्ति, किसी राजनैतिक व्यक्ति, फिल्मी व्यक्ति, खेलों से सम्बन्धित व्यक्ति इत्यादि का नाम मतदाता सूची को दूषित किए जाने के उद्देश्य न डाला गया है।

6. यदि मतदाता सूची के मुद्रण में कोई त्रुटि अथवा कठिनाई आती है तो उसका तुरंत निवारण इस कार्यालय के कम्प्यूटर कक्ष के दूरभाष संख्या—0522—2234560 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्देशों को सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्याः1321(1)/सी0ई0ओ0—4—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2— समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3— समस्त अधिकारी/अनुभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

(अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी